UPAD040560262022

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,इलाहाबाद।

मुकदमा नम्बर 1682/2022

सरकार बनाम अतुल आदि

धारा–323/504/506 भा0दं0सं0

मु0अ0सं0–801/2017

थाना– कर्नलगंज

जनपद– इलाहाबाद।

11.09.2024

सुलहनामा पर उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। वादिनी मुकदमा पुष्पा देवी तथा अभियुक्तगण अतुल व अजय मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। वादिनी मुकदमा पुष्पादेवी की ओर से सुलहनामा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उभयपक्षो के मध्य आपसी सुलह समझौता हो गया है। अब उभयपक्ष मुकदमें में बल नही देना चाहते हैं। अतः उपरोक्त सुलहनामे के आधार पर मुकदमा समाप्त किया जाये।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा पुष्पादेवी के लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस थाना कर्नलगंज में अ0सं0– 801/2017,धारा 323/504/506 भा0 दं0 सं0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया और बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण अतुल व अजय के विरूद्ध मु0अ0सं0.–801/2017, धारा 323/ 504/ 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और अपनी–अपनी जमानत कराई तत्पश्चात मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया और बयान भी अंकित किया गया। इसी बीच वादिनी पुष्पा व अभियुक्तगण अतुल व अजय द्वारा सुलहनामा अन्तर्गत धारा 320 भा0दं0सं0 प्रस्तुत कर मुकदमे को सुलहनामे के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना की गई। सुलहनामा पर अभियोजन को कोई आपत्ति नही है। वादिनी पुष्पा देवी के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण अतुल व अजय के हस्ताक्षर व फोटो की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई। सुलहनामा उभयपक्ष को पढ़कर रूबरू न्यायालय सुनाया गया सुलहनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में धारा 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत सुलह करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व पत्रावली के

परिशीलन के उपरान्त उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया सुलहनामा स्वीकार किये जाने योग्य है तथा मुकदमे का निस्तारण अन्तर्गत धारा 320 दं0प्र0सं0 किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

वादिनी मुकदमा पुष्पा देवी व अभियुक्तगण अतुल व अजय (उभयपक्ष) द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत मामले की कार्यवाही अन्तर्गत धारा–320 दं0प्र0सं0 समाप्त की जाती है। अभियुक्तगण अतुल व अजय को थाना कर्नलगंज के मु0अ0सं0–801/2017 अन्तर्गत धारा– 323/504/506 भा0 दं0 सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक 11.09.2024

(प्रदीप्ति सिंह)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रयागराज।
J.O.Code No-UP2213